

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं०. 34/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....(अ)- केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

(i) सारणी मेंक्रम सं० 11 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“12	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरसीडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीडिंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक।”।
-----	---	---	-----------------------

[फा सं.354/173/2017 –टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सांकांनि० 692 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 22/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सांकांनि० 1051 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।